



प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1**लखनऊ::दिनांक 23 मई, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से झांसी मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 14 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि झांसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत 14 चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल ₹0 6,28,36,000/- (रूपये छः करोड़ अठ्ठाईस लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या	दिनांक
1	21294/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2026-27	11-05-2026
2	21363/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2026-27	12-05-2026
3	21442/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2026-27	13-05-2026
4	21488/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2026-27	14-05-2026
5	21571/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2026-27	16-05-2026

तालिका-2

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक / गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झांसी में हीरापुर बुढपुरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	561/2025/आई/1139704/23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	88.18 88.18 54.86 3.49 84.69	30.86	53.83	49.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधिक / गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		के कि०मी०-4 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कार्य।					
2	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झाँसी में बबीना से खाड़ी सम्पर्क मार्ग के कि०मी०-1 से 5 में विशेष मरम्मत का कार्य।	561/2025/आई/1139704/23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	<u>43.03</u> <u>43.03</u> <u>29.71</u> <u>1.02</u> <u>42.01</u>	15.06	26.95	24.85
3	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झाँसी में पृथ्वीपुर से नयाखेडा सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) पर कि०मी०-1 में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कार्य।	561/2025/आई/1139704/23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	<u>83.49</u> <u>83.49</u> <u>68.55</u> <u>0.65</u> <u>82.84</u>	29.22	53.62	49.48
4	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झाँसी में महेशगढ सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) पर कि०मी०-1 में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कार्य।	561/2025/आई/1139704/23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	<u>64.59</u> <u>64.59</u> <u>53.57</u> <u>1.38</u> <u>63.21</u>	22.61	40.60	37.44
5	नि.ख.-3 झांसी	झाँसी बबीना मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के आबादी भाग के (कि०मी०-13 व 27) में विशेष मरम्मत का कार्य।	561/2025/आई/1139704/23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	<u>85.85</u> <u>85.85</u> <u>51.99</u> <u>1.96</u> <u>83.89</u>	50.02	33.87	29.68
6	नि.ख.-3 झांसी	मोठ-भाण्डेर (अन्य जिला मार्ग) आबादी भाग में सी०सी० एवं नाली निर्माण के साथ विशेष मरम्मत का कार्य।	561/2025/आई/1139704/23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	<u>406.96</u> <u>406.96</u> <u>273.41</u> <u>7.74</u> <u>399.22</u>	142.43	256.79	141.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधिक / गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
7	नि.ख.-3 झांसी	बरमाईन मार्ग (ग्रामीण मार्ग) में विशेष मरम्मत का कार्य।	660/2025/आई/1169203/23-1-25/003-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-09-12-2025	<u>43.21</u> <u>43.21</u> <u>36.20</u> <u>0.49</u> <u>42.72</u>	15.12	27.60	25.46
8	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झाँसी में हीरापुर बुढपुरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि०मी०-3 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कार्य।	561/2025/आई/1139704/23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	<u>80.46</u> <u>80.46</u> <u>50.03</u> <u>4.28</u> <u>76.18</u>	28.16	48.02	44.21
9	नि.ख. ललितपुर	रोडा सम्पर्क मार्ग के किमी० 1(670) में विशेष मरम्मत का कार्य।	561/2025/आई/1139704/23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	<u>51.45</u> <u>51.45</u> <u>35.39</u> <u>1.50</u> <u>49.95</u>	18.01	31.94	31.40
10	प्रा.ख. झांसी	पंचमपुरा से चुरारा सम्पर्क मार्ग में विशेष मरम्मत का कार्य।	561/2025/आई/1139704/23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-11-11-2025	<u>50.20</u> <u>50.20</u> <u>28.93</u> <u>3.00</u> <u>47.20</u>	17.57	29.63	27.00
11	प्रा.ख. झांसी	पंचमपुरा सम्पर्क मार्ग में विशेष मरम्मत का कार्य।	615/2025/आई/115726/23-1-25/002-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-27-11-2025	<u>83.49</u> <u>83.49</u> <u>48.56</u> <u>2.20</u> <u>81.29</u>	29.22	52.07	47.00
12	प्रा.ख. झांसी	खदरका सम्पर्क मार्ग में विशेष मरम्मत का कार्य।	615/2025/आई/115726/23-1-25/002-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-27-11-2025	<u>55.55</u> <u>55.55</u> <u>36.62</u> <u>2.10</u> <u>53.45</u>	19.44	34.01	31.00
13	प्रा.ख. झांसी	विक्रमपुरासानी कुटौरा सम्पर्क मार्ग कि०मी संख्या 1,2,3,4,5	170/2026/आई/1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026-दिनांक-16-03-2026	<u>45.56</u> <u>45.56</u> <u>32.25</u> <u>0.35</u> <u>45.21</u>	4.56	40.65	38.00
14	प्रा.ख. ललितपुर	महरोनी मड़ावरा मदनपुर मार्ग	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-1002(002)/11/2025-दिनांक-31-01-2025	<u>357.94</u> <u>332.65</u> <u>184.43</u> <u>71.87</u> <u>260.78</u>	209.14	51.64	51.64
	कुल योग-						628.36

- (1) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यो के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

- (2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।
- (4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।
- (5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।
- (6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु0 6,28,36,000/- (रूपये छः करोड़ अठ्ठाईस लाख छत्तीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

संख्या-437/2026/आई/1340317(1)/23-1-26/001-23-1002(002)/202/2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
- 5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
- 6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
- 11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।